jft LVªhl a Mkö , yö&33004@99 REGD. NO. D. L-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

vlk/kkj.k
EXTRAORDINARY

Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

izkf/dkj ls izdkf'kr
PUBLISHED BY AUTHORITY

la 370] ubZ fnYyh] 'kqØokj] twu 5] 2015@T;s"B 15] 1937
No. 370] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2015/JYAISTHA 15, 1937

India Code

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2015

सा.का.नि. 461(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 6 की उप-धारा (7) और उप-धारा (8) के साथ पठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और अंशकालिक सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और अंशकालिक सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये 29 अक्तूबर, 2014 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और अंशकालिक सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें नियम, 2000 के नियम 13 में, उप नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि डॉ.ए.सूर्य प्रकाश, वर्तमान अध्यक्ष को मास में उन दिनों के लिए जब वह प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी शासकीय कार्य या कर्तव्यों को जिसके अंतर्गत प्रसार भारती बोर्ड और उनकी समितियों की बैठकों में उपस्थित होना भी है, पूरा करने की अपेक्षा की जाती है, प्रतिमास 1,00,000 रु. (एक लाख रुपए) की मासिक सीमा के अधीन रहते हुए प्रतिदिन 10,000 रु. का भत्ता संदाय किया जाएगा और यह कि कोई बैठक भत्ता, प्रसार भारती बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए अलग से अनुज्ञेय नहीं होगा।"।

[फा. सं. ए-50013/24/2015-बीएपी]

पुनीत कंसल, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन—प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और अंशकालिक सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें (संशोधन) नियम, 2015 को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 863(अ), तारीख 10 नवंबर, 2000 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सं. सा.का.नि. 126(अ), तारीख 1 मार्च, 2006, सं. सा.का.नि. 464(अ), तारीख 20 जून, 2012, सं. सा.का.नि. 884(अ), तारीख 7 दिसंबर, 2012 और सं. सा.का.नि. 167(अ), तारीख 11 मार्च, 2013 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2015

G.S.R. 461(E).—In exercise of the powers conferred by Section 32 read with sub-sections (7) and (8) of Section 6 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Salaries, Allowances and other Conditions of Service of Chairman, Whole-time Members and Part-time Members Rules, 2000, namely:—

1. (1) These rules may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Salaries, Allowances and other Conditions of Service of Chairman, Whole-time Members and Part-time Members (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 29th October, 2014.

2. In the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Salaries, Allowances and other Conditions of Service of Chairman, Whole-time Members and Part-time Members Rules, 2000, in rule (13), after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely: —

"Provided that, Dr. A. Surya Prakash, the present Chairman, shall be paid an Allowance of ` 10,000/- per day subject to the overall monthly ceiling of ` 1,00,000/- (Rupee One Lakh) per month, for those days in the month when he is required to perform any official work or duty in the discharge of his functions as Chairman of Prasar Bharati, including attending meetings of the Prasar Bharati Board and its Committees and that no Meeting Allowance shall be admissible separately for attending the meetings of the Prasar Bharati Board and its Committees.".

[F. No. A-50013/24/2015-BAP]

PUNEET KANSAL, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum.—By giving retrospective effect to the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Salaries, Allowances and other Conditions of Service of Chairman, Whole-time Members and Part-time Members (Amendment) Rules, 2015, no one is adversely affected.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 863(E), dated the 10th November, 2000 and was subsequently amended by number G.S.R. 126(E), dated the 1st March, 2006, number G.S.R. 464(E), dated the 20th June, 2012, number G.S.R. 884(E), dated the 7th December, 2012 and number G.S.R. 167(E), dated the 11th March, 2013.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode